फा.सं. न्यूपा / प्रशासनिक / आरओ / परिपत्र / 030/20 17

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय

17-बी, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली -110016

नवंबर 30 , 2017

अधिसूचना

विषय : मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग - माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपर्युक्त विषय पर अपने दिनांक 10 नवंबर, 2017 और 29 नवंबर 2017 के पत्र सं.एफ 5-1 / 2017 (सीपीपी-आई/ डीयू) के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के आदेशों के अनुसार 'विश्वविद्यालय' का नाम परिवर्तित करने का निर्देश दिया है।

इस मामले पर दिनांक 30/11/2017 को कुलपति द्वारा बुलाई विभागाध्यक्षों और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की बैठक में और दिनांक 30/11/2017 को आयोजित वित्त समिति की बैठक में भी चर्चा की गई।

उपर्युक्त चर्चाओं के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से **राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा)** का नाम बदल कर **राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) (मानित विश्वविद्यालय) कर दिया जाये**।

इस संबंध में आवश्यक परिवर्तन पहले से ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट में कर दिया गया है और यथासमय अन्य रिकार्ड में भी कर दिया जायेगा ।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

बसवराज

(बसवराज स्वामी)

कुलसचिव

1. संयुक्त सचिव (पी एंड आईसीसी) , उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार , मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
2. सभी संकाय सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी और छात्र, न्यूपा ,नई दिल्ली